

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0**

**पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)**

मुकदमा नम्बर  
167/2020

तारीख दायर  
11-09-2020

तारीख फ़ैसला  
25/04/2022

**उनवान**

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----:: वादी

**बनाम**

01. मोहर खॉ पुत्र श्री निवाज खॉ जाति मेव निवासी ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर  
02. रहमानी पत्नी बसीर खॉ जाति मेव निवासी घासौली तहसील तिजारा जिला अलवर  
03. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)  
04. शाखा प्रबन्धक बी.आर.के.जी.बी. शाखा टपूकडा जिला अलवर

-----:: प्रतिवादीगण


दावा तकासमा वो हुकमईम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**--: निर्णय :-**

प्रकरण के सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुकमईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 1.88 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 0.5014 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल हैं। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। हर इंच पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 फोरमल पक्षकार हैं कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी

द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शागिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने दावा को नक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 07-01-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर मुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/5030 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण कुरे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुरे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसारा नम्बर 235 रकबा 1.88 0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजरथान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | नाम खातेदार   | खसारा नम्बर | रकबा   | किरम     | लगान   |
|---------|---|-------------|--------|----------|--------|
| 01.     | शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्रा0लि0 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. जयें डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली                                      | 235         | 0.5014 | बारानी 2 | 1.9816 |
| 02.     | मोहरखां पुत्र निवाज खां हि0 11257/13786 जाति मेव सा. मुसारी खातेदार राहिन हि0 11257/13786 पूर्ण खाता बीआरकेजीबी टपूकडा रहमानी पत्नी बशीर खांन हि0 2529/13786 जाति मेव सा. घासोली तह. किशनगढ बास खातेदार | 235/1       | 1.3786 | बारानी 2 | 5.4489 |

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे। डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।



(महेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)  
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर  
167/2020

तारीख दायर  
11-09-2020

तारीख फैसला

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

—:: वादी

बनाम

01. मोहर खॉ पुत्र श्री निवाज खॉ जाति मेव निवासी ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर
02. रहमानी पत्नी बशीर खॉ जाति मेव निवासी घासौली तहसील तिजारा जिला अलवर
03. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
04. शाखा प्रबन्धक बी.आर.के.जी.बी. शाखा टपूकडा जिला अलवर

—:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइस्तनाई दवामी


अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: पर्चा डिकी ::—

हाल आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 1.88 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

| क्र.सं. | नाम खातेदार  | खसरा नम्बर | रकबा   | किस्म    | लगान   |
|---------|--|------------|--------|----------|--------|
| 01.     | शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्रा0लि0 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. जयें डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली                                     | 235        | 0.5014 | बारानी 2 | 1.9816 |
| 02.     | मोहरखां पुत्र निवाज खां हि0 11257/13786 जाति मेव सा. मुसारी खातेदार राहिन हि0 11257/13786 पूर्ण खाता बीआरकेजीबी टपूकडा रहमानी पत्नी बशीर खां हि0 2529/13786 जाति मेव सा. घासौली तह. किशनगढ बास खातेदार | 235/1      | 1.3786 | बारानी 2 | 5.4489 |

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे।

  
(महेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी